HRA En USIUSI The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266367 CG-DL-E-24092025-266367

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4239]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 4239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक विभाग)

(वित्तीय बाज़ार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

का.आ. 4358(अ).— अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, का. आ. सं. 2435 (अ) दिनांक 24 जुलाई, 2020 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, मौजूदा प्रविष्टि के लिए क्रम संख्या 1 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

"डॉ अभिजीत फुकोन, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकारसदस्य'

[फा. सं. 4/1/2020- आर. ई.]

सोलोमन अरोकियाराज, अपर सचिव

पाद टिपण्णी: मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 24 जुलाई, 2020 के का.आ. 2435 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या 2427 (अ) दिनांक 27 मई 2022 और का.आ. 4408 (अ) दिनांक 21 सितंबर, 2022, का. आ. 5251 (अ) दिनांक 11 नवंबर, 2022 और का. आ. 3149 (E) दिनांक 13 जुलाई 2023

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4358(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 5 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 2435 (E) dated 24th July, 2020, namely: -

In the said Notification, against serial number 1, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: -

> [F. No. 4/1/2020-RE] SOLOMON AROKIARAJ, Addl. Secy.

Footnote: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide S.O. 2435(E) dated the 24th July, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 2427(E) dated 27th May 2022, S.O. 4408 (E) dated 21st September 2022, and S.O. 5251(E) dated 11th November, 2022 and S.O. 3149(E) dated 13th July 2023